

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड-डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



एफ 4(261)/प्राशि/एमडीएम/मासिक निरीक्षण/2017-18/ 1409

जयपुर, दिनांक : 06.03.2020

जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा
जिला समस्त।

विषय : मिड-डे मील योजना का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मासिक निरीक्षण सुनिश्चित कराने बाबत।

महोदय,

मिड-डे मील योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के लिए विभागीय दिशा-निर्देश-2010 के बिन्दु संख्या 22 में निम्नानुसार मासिक लक्ष्य निर्धारित किए हुए है :-

क्र.सं.	पदनाम	मासिक निरीक्षणों का लक्ष्य
1	जिला कलेक्टर	5 विद्यालय
2	अति. जिला कलेक्टर	5 विद्यालय
3	उप खण्ड अधिकारी/ए.सी.एम.	10 विद्यालय
4	तहसीलदार	10 विद्यालय
5	अन्य जिला स्तरीय अधिकारी	5 विद्यालय
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	5 विद्यालय
7	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	5 विद्यालय
8	जिला परिषद के अन्य अधिकारी	5 विद्यालय
9	जिला शिक्षा अधिकारी	20 विद्यालय
10	खण्ड शिक्षा अधिकारी	20 विद्यालय
11	विकास अधिकारी पंचायत समिति	10 विद्यालय
12	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	05 विद्यालय
13	शिक्षा प्रसार अधिकारी	20 विद्यालय
14	पंचायत समिति के अन्य अधिकारी	5 विद्यालय
15	अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारी	5 विद्यालय
16	अधिशाषी अधिकारी, स्थानीय निकाय	10 विद्यालय

मासिक निरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि जिलों में विभिन्न अधिकारियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण नहीं हो रहे हैं एवं किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट भी मिड-डे मील आयुक्तालय को नहीं भिजवाई जा रही है, जिससे राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना में विभाग से संबंधित बिन्दु संख्या 21.5 ("बच्चों के मिड-डे मील में पौष्टिक एवं गुणवत्ता पूर्ण पोषाहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना") का सुव्यवस्थित संचालन एवं क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है।

अतः इस क्रम में पुनः अनुरोध है कि कृपया :-

www.rajteachers.com

1. लक्ष्यों के अनुसार मासिक निरीक्षण करना सुनिश्चित करायें।
2. जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण के प्रपत्र सीधे ही आयुक्तालय को भिजवाये जाये।

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड-डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



3. अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट्स की जिला स्तर पर समीक्षा कर संकलित सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में मासिक रूप से आयुक्तालय को भिजवाई जाये।
4. निरीक्षण में पाई गई कमियों/अनियमितताओं पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाये ताकि योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
5. गबन, अनियमितता, चोरी आदि के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये व की गई कार्यवाही से मिड-डे मील आयुक्तालय को अवगत कराया जाये तथा आवश्यक हो तो प्रकरण मिड-डे मील आयुक्तालय को भी प्रेषित किया जाये।

कृपया निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय
Ashish
(अभिषेक भगोतिया), I.A.S
आयुक्त,
मिड-डे मील

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :

- 1 जिला कलेक्टर, जिला समस्त
- 2 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, जिला समस्त।
- 3 मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक समस्त

Ravi
उपायुक्त (क्रिया एवं मोनि.)
मिड डे मील

राजस्थान सरकार

मिड-डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये मासिक निरीक्षणों का विवरण

1. जिले का नाम.....
2. माह
3. कुल निरीक्षणों की संख्या

क्र.सं.	निरीक्षण करने वाले अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों का पूर्वनिर्धारित लक्ष्य	किये गये निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण किए गये विद्यालयों में कार्यक्रम कियान्वयन की स्थिति (विद्यालयों की संख्या)		निरीक्षण किये गये विद्यालयों में असंतोषप्रद होने का स्पष्ट विवरण	विशेष विवरण
				संतोषप्रद	असंतोषप्रद		
1	जिला कलक्टर	5					
2	अति. जिला कलक्टर	5					
3	उपखण्ड अधिकारी/एसीएम	10					
4	तहसीलदार	10					
5	अन्य जिला स्तरीय	5					
6	मु. कार्यकारी अधिकारी	5					
7	जिला परिषद के अन्य अधिकारी	5					
8	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	5					
9	जिला शिक्षा अधिकारी	20					
10	खण्ड शिक्षा अधिकारी	20					
11	शिक्षा प्रसार अधिकारी	20					
12	विकास अधिकारी	10					
13	P0S10 के अन्य अधिकारी	5					
14	अन्य खण्ड अधिकारी	5					
15	अधिसाक्षी अधिकारी	10					
	कुल	140					

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा
जिला.....